भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1646
दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

पश्चिम बंगाल में हिंसा

†1646. श्री खगेन मुर्मुः
डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों से बम विस्फोट/हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त घटनाओं में मरने वालों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या ऐसी खबरे हैं कि पश्चिम बंगाल में मदरसे धार्मिक अतिवाद का प्रचार कर रहे हैं और आतंकवादी संगठनों की मदद कर रहे हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सलाह जारी की है कि राज्य में चुनाव पश्चात् हिंसा के दौरान बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण किया जाए; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (च): आम चुनाव 2019 से पहले, उसके दौरान तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की कई घटनाओं के बारे में सूचना प्राप्त हुई है जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित कई व्यक्तियों की मौत हुई है तथा कई व्यक्ति घायल हुए हैं। इस मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ चिंता व्यक्त की गई थी तथा दिनांक 09.06.2019 को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें राज्य सरकार को राज्य में कानून और व्यवस्था, शांति तथा लोक शांति कायम रखने के लिए कहा गया था।

जमात-उल-मुजाहीद्दीन बांग्लादेश द्वारा कट्टरता और भर्ती गतिविधियों के लिए बर्धवान तथा मुर्शीदाबाद स्थित कुछ मदरसों का इस्तेमाल किये जाने के बारे में कुछ इनपुट मिले हैं। इस संबंध में संगत इनपुटों को उपयुक्त कार्रवाई करने की सलाह के साथ राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों के साथ नियमित रूप से साझा किया जा रहा है। सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत दिनांक 23.05.2019 को जमात-उल-मुजाहीद्दीन बांग्लादेश अथवा जमात-उल-मुजाहीद्दीन भारत अथवा जमात-उल-मुजाहीद्दीन हिन्दुस्तान तथा इसके सभी स्वरूपों को आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित किया है।

******